9 4/24

पत्रावली पेश। वकील वादी
द्वारा प्रतिवादीगण की वकील
पेश नहीं की। अतः पत्रावली
को वकील के अभाव
में CPC के प्रावधानों
के तहत आदेश 9 नियम
5 के तहत खारिज
किया जाता है। पत्रावली
फैसल है। दाखिल दफ्तर
हो।